संख्या: 7077/14-[illegible]-944/88

River Rafting 19-33-07 RR

प्रेषक,

बी0 डी0 काण्डपाल,
विशेष सचिव,
वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
देहरादून।

वन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 सितम्बर, 99

विषय:- पर्वतीय क्षेत्रों के वनों में रीवर राफ्टिंग की अनुमति दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या: 6713/14-2-93-944/1988, दिनांक 28 अक्टूबर, 1993 एवं शासनादेश संख्या: 7429/14-2-93-944/1988, दिनांक 4 अप्रैल, 1994 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र के रक्षित/आरक्षित वनों में बहने वाली नदियों में राफ्टिंग की अनुमति एवं राफ्टिंग कम्पनियों को नदी के किनारे खाली स्थानों (बीच) का आवंटन शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) रीवर राफ्टिंग की अनुमति निदेशक, पर्यटन (पर्वतीय) द्वारा दी जायेगी।

(2) राफ्टिंग की अनुमति यथासम्भव उन्हीं कम्पनियों को दिये जाने पर विचार किया जाये जिन्हें गत वर्षों में अनुमति दी गई हो। साथ ही इस संबंध में नदी की राफ्टिंग हेतु कैरींग कैपैसिटी पर भी विचार कर अनुमति दी जाये।

(3) निदेशक, पर्यटन से राफ्टिंग हेतु अनुमति प्राप्त कम्पनियों द्वारा संबंधित वन संरक्षक को आवेदन करने पर ही उन्हें अस्थायी कैम्प लगाने हेतु बीचों का आवंटन कम्पनी के कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन के उपरान्त वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा। वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही कम्पनियां राफ्ट चलायेंगी।

(4) रीवर राफ्टिंग के लिये अस्थायी कैम्प लगाने हेतु अनुमति एक बार में पांच वर्षों के लिये दी जायेगी और इसका नवीनीकरण, यदि कम्पनी

---2/-

द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन न किया गया हो, वन संरक्षक द्वारा कम्पनी के कार्य एवं आचरण का मूल्यांकन कर प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(5) कैम्पिंग एवं राफ्ट शुल्क (प्रति सीजन), सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित शुल्क कम्पनियों को राफ्टिंग करने से पूर्व जमा करना होगा।

(6) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर कैम्प लगाये जायेंगे।

(7) कैम्प में रह रहे व्यक्तियों को आग्नेय अस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री रखने की अनुमति नहीं होगी।

(8) कैम्प साईट के आस-पास के जंगल में अग्नि सुरक्षा का दायित्व आवंटी कम्पनी का होगा।

(9) किसी भी राफ्टिंग कम्पनी को अधिकतम कितने राफ्ट चलाने का अधिकार होगा तथा बीच में कितने टैण्ट लगाये जायेंगे व कितने पर्यटक एक बार में आवास करेंगे, इसका निर्धारण महानिदेशक, पर्यटन (पर्यटन) की अध्यक्षता में सम्बन्धित वन संरक्षक एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के एक प्रतिनिधि की एक संयुक्त बैठक में विचार-विमर्श कर किया जायेगा।

(10) कम्पनी द्वारा प्रत्येक राफ्ट पर पेन्ट द्वारा वन विभाग के निर्देशानुसार नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

(11) प्रत्येक राफ्ट पर गाईड एवं प्रत्येक पर्यटक हेतु लाईफ जैकेट व हेल्मेट अनिवार्य रूप से होगा। गाईड को पर्यटन विभाग द्वारा प्रदत्त फोटोयुक्त पहचान पत्र राफ्टिंग के समय अपने पास रखना होगा।

(12) सायंकाल 6.00 बजे के उपरान्त कोई राफ्ट नदी में नहीं चलाई जायेगी।

(13) प्रत्येक पर्यटक को सुरक्षित राफ्टिंग कराने का दायित्व संबंधित राफ्टिंग कम्पनी का होगा।

(14) किसी भी राफ्ट या नाव को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आउट बोर्ड मोटर लगाने की अनुमति नहीं होगी।

(15) प्रत्येक राफ्टिंग कम्पनी के लिये यह आवश्यक होगा कि वे प्रत्येक राफ्टिंग ट्रिप में पर्यटकों व गाईड का नाम व पता रजिस्टर में अंकित करेंगे जिसे सीजन समाप्ति के बाद वन संरक्षक के निर्देशानुसार जमा करेंगे।

(16) कैम्प में प्रकाश व्यवस्था हेतु जैनरेटर एवं जलापूर्ति हेतु डीज़ल/पैट्रोल/मिट्टी तेल से चालित पम्पों का प्रयोग निषिद्ध होगा।

(17) रात्रि में प्रकाश व्यवस्था केवल टेन्टों के भीतर सीमित रखी जायेगी। तेज रोशनी का उपयोग नहीं किया जायेगा। केवल लालटेन व सौर्य ऊर्जा चालित रोशनी का प्रयोग किया जायेगा।

---3/-

§18§ रात्रि 9.00 बजे के बाद कैम्प में रोशनी करना अनुमन्य नहीं होगा।

§19§ रेडियो, वीडियो, टेप रिकार्डर, सामुहिक गाना बजाना, पटाखों व आतिशबाजी तथा वाद्य यंत्रों का प्रयोग कैम्प स्थल में निषिद्ध रहेगा।

§20§ कैम्प स्थल पर गार्बेज का संग्रहण निर्धारित स्थान पर इस प्रकार किया जायेगा कि कोई भी कूड़ा कैम्पिंग स्थल पर फैलने न पाये। एकत्रित कूड़े को कम्पनी स्वयं उठाकर निकटतम नगरपालिका/ टाउन एरिया के निर्धारित कूड़ादानों में डलवायेंगे। किसी भी दशा में कूड़ा न तो नदी में फेंका जायेगा और न ही उसे कैम्पिंग स्थल पर जलाया जायेगा।

§21§ मल मूत्र त्याग हेतु केवल ड्राई पिट सुविधा राजि अधिकारी द्वारा बताई गई संख्या के अनुसार निर्धारित स्थान पर पर्यटकों को कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। ड्राई पिट शौचालय सैण्ड बैंक के ऊपरी किनारे से यथासम्भव 60 मीटर की दूरी पर खोदे जायेंगे।

§22§ किसी भी बीच का वह भाग जो वन अधिकारी द्वारा वन्य जन्तुओं के आगमन हेतु चिन्हित किया जाये, उस भाग को कैम्पिंग हेतु प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

§23§ कैम्प में भोजन पकाने हेतु जलौनी प्रकाष्ठ का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

§24§ किसी भी कम्पनी को कैम्प स्थल पर राजपत्रित अवकाश, शनिवार व रविवार के अतिरिक्त कैम्प फायर करने की अनुमति नहीं होगी। कैम्प फायर जमीन पर न करके बड़े आकार के तसलों पर करना होगा। कैम्प फायर से उत्पादित राख, कोयला व अधजली लकड़ी को नदी में नहीं बहाया जायेगा बल्कि उन्हें गार्बेज की भांति नगरपालिका के कूड़ादानों में डालना होगा। कैम्प फायर हेतु जलौनी वन निगम के डिपो से क्रय की जायेगी और किसी भी दशा में स्थानीय ग्रामवासियों से जलौनी क्रय नहीं की जायेगी। कैम्प फायर रात्रि 11.00 बजे के उपरान्त अनुमन्य नहीं होगा।

§25§ रसोई के बर्तनों व उपकरणों आदि की सफाई हेतु डिटर्जेन्ट का प्रयोग नहीं किया जायेगा। कैम्प साईट पर कपड़े धोना वर्जित होगा।

§26§ वन अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी समय कैम्प स्थल, टेन्टों तथा राफ्टिंग में प्रयुक्त उपकरणों आदि का निरीक्षण कर सकते हैं।

§27§ कम्पनी द्वारा उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर राफ्टिंग एवं कैम्पिंग हेतु प्रदत्त अनुमति तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा कम्पनी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

---4/-

2- अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में तत्काल अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

भवदीय,

(बी० डी० काण्डपाल)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6- मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7- मुख्य वन संरक्षक, कुमायूं, नैनीताल।
8- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, देहरादून।
9- नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उ0प्र0, लखनऊ।
10- उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त जिलाधिकारी।
11- उत्तराखण्ड क्षेत्र के समस्त वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी।

आज्ञा से,

(चन्द्रा शंकर)
उप सचिव।